भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2329

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

गुजरात मे इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और चारजिंग अवसंरचना को प्रोत्साहन

2329 श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), बैटरियों और ऑटोमोबाइल कलपुर्जों (कंपोनेंट्स) के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से आकर्षित कुल निवेश तथा उत्पन्न रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार, बैटरी विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं सहित ईवी पारितंत्र को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): इलेक्ट्रिक वाहनों (घटकों सहित) तथा बैटरियों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) निम्नलिखित दो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा हैः

i. भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की अधिसूचना दिनांक 23.09.2021 को जारी की गई थी जिसका उद्देश्य 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पाद के डिज़ाइन एवं विकास पर किया गया व्यय पात्र निवेश की श्रेणी में आता है। अनुमोदित आवेदक देश में कहीं भी अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 14

(चौदह) इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। गुजरात सहित सभी राज्यों में स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार हैः

मापदंड	**दिनांक 31.03.2026 तक संचयी स्थिति**
निवेश (करोड़ रुपए में)	44,326
वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्षः वित्त वर्ष 2019-20) (करोड़ रुपए में)	52,414
सृजित रोजगार (संख्या में)	67,820
वितरित प्रोत्साहन (करोड़ रुपए में)	2,386.36

ii. देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु 18,100 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की अधिसूचना दिनांक 09.06.2021 को जारी की गई थी। 50 गीगावाट-घंटा की कुल क्षमता में से 40 गीगावाट-घंटा एसीसी क्षमता एंड-यूज से निरपेक्ष है तथा इसका उपयोग ईवी सहित किसी भी अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। पीएलआई एसीसी स्कीम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें सेल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए किसी विशिष्ट स्थान का निर्धारण अथवा अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है। दिनांक 04.08.2026 तक पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत किसी भी लाभार्थी फर्म द्वारा प्रोत्साहन राशि का दावा नहीं किया गया है। पीएलआई एसीसी स्कीम की दो लाभार्थी फर्मों ने गुजरात में अपनी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने का चयन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	**पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी फर्म**	**स्थान**	**निवेश (करोड़ रुपए में)**	**प्रत्यक्ष रोजगार**
1.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड	जामनगर, गुजरात	1,144	277
2.	रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड		2,018	95
	कुल		**3,162**	**372**

इसके अतिरिक्त, ईवी तथा ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास भी किए गए हैं:-

i. दिनांक 29.09.2024 को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम अधिसूचित की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित विभिन्न श्रेणियों के ईवी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत गुजरात सहित देशभर में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

ii. देश में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की एकीकृत सिंटर्ड रेअर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से दिनांक 26.11.2025 को 7,280 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेअर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने संबंधी स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त स्कीम की अधिसूचना दिनांक 15.12.2025 को जारी की गई।

iii. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने संबंधी स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) की अधिसूचना दिनांक 15.03.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत आवेदकों के लिए न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना तथा तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत तक न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना अनिवार्य है।

iv. ईवी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरी लाइसेंस प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने राज्यों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने संबंधी परामर्श भी जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक लागत कम करने में सहायता मिलेगी।

******